



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272527
CG-DL-E-13052026-272527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2369]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948

No. 2369]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

का.आ. 2461(अ).— केन्द्रीय सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) में अधिसूचना संख्या का. आ. 1147 (अ) तारीख 1 अक्तूबर, 2003 द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की हैं:-

अतः अब केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 1 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1147 (अ) की निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (14) से क्रम संख्या (17) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात्:-

धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अधीन वार्षिक क्रमावर्तन के आधार पर नियुक्त सदस्य;

“(14) राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश, सदस्य-सचिव;

- (15) राज्य जैव विविधता बोर्ड, त्रिपुरा, सदस्य-सचिव;
 (16) राज्य जैव विविधता बोर्ड, आंध्र प्रदेश, सदस्य-सचिव;
 (17) राज्य जैव विविधता बोर्ड, ओडिशा, सदस्य-सचिव;”

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएससी(बीसी) भाग III]

रघु कुमार कोडाली, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 1147 (अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का.आ. 497 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2004; का.आ.262(अ) तारीख 22 फरवरी, 2007; का.आ. 389 (अ) तारीख 15 फरवरी 2010; का. आ. 3299 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2013; का.आ. 1351 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2016 का. आ. 897 (अ), तारीख 21 मार्च, 2017; का.आ. 1850 (अ), तारीख 11 जून, 2020; का. आ. 1720 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2021; का आ. 4037 (अ), तारीख 6 सितंबर, 2023; का. आ. 289 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2025; फा.सं.जे-20018/12/2003-सीएससी (बीसी) भाग (III) तारीख 06 अक्टूबर, 2025; और अंतिम बार का.आ. 5679 (अ) तारीख 8 दिसंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2026

S.O. 2461(E).— WHEREAS the Central Government established the National Biodiversity Authority under sub-sections (1) and (4) of section 4 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) *vide* notification number S.O. 1147(E), dated the 1st October, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii);

AND WHEREAS the Central Government has issued various notification in this regard to appoint the members of the Authority from time to time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby appoints the following members to the National Biodiversity Authority and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003, namely:-

1. In the said notification, for serial numbers (14) to (17) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Members appointed on Annual rotational basis under clause(c) of sub-section (4) of section 8:

- “(14) Member-Secretary, State Biodiversity Board of Madhya Pradesh;
 (15) Member-Secretary, State Biodiversity Board of Tripura;
 (16) Member-Secretary, State Biodiversity Board of Andhra Pradesh;
 (17) Member-Secretary, State Biodiversity Board of Odisha;”

[F. No. J-22018/46/2003-CSC(BC) Vol. III]

RAGHU KUMAR KODALI, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) *vide* number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003 and subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 497 (E), dated the 15th April 2004; S.O. 262 (E), dated the 22nd February, 2007; S.O. 389 (E), dated the 15th February, 2010; S.O. 3299 (E), dated the 31st October, 2013; S.O.1351 (E), dated the 7th April, 2016; S.O. 897 (E), dated the 21st March,2017; S.O.1850 (E), dated the 11th June, 2020; S.O. 1720(E), dated the 30th April, 2021, S.O. 4037 (E), dated the 6th September 2023; S.O. 289(E) dated the 15th January 2025; F.No. J-22018/12/2003-CSC (BC) Vol.III dated the 06th October 2025, and last amended *vide* S.O. 5679 (E) dated 8th December 2025.